

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/2018

जयपुर, दिनांक 25.06.2018

—:: आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018 द्वारा जिले के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अन्तः जिला एवं अन्तर जिला स्थानान्तरण किये गये थे । उक्त आदेशों में कुछ प्रकरणों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक को प्रासंगिक आदेश में अंकित शर्तानुसार राहत प्रदान करने, दोहरा पदस्थापन होने, पद रिक्त नहीं होने, सहवन से लेवल अथवा विषय गलत अंकित हो जाने/परीवीक्षाकाल पूर्ण हुए बिना स्थानान्तरण हो जाने / पात्रता न होने पर भी स्थानान्तरण हो जाने आदि की स्थितियों के कारण पालना नहीं की जा सकी है। उक्त स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों के क्रम में भीलवाडा जिले में निम्नानुसार स्थानान्तरण संशोधन तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं	स्था. आदेश में क्र. सं	नाम एवं पद (लेवल विषय सहित)	कहां से	कहां को	संशोधन का विवरण	राज्य सरकार के आदेश पत्रावली संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	217	गणपत लाल मोहता, अध्या0 ले-1	राउप्रावि कलुन्दिया-पीपली पं.स. सुवाणा (08240807701)	राप्रावि भवानीपुरा-हमीरगढ पं.स. सुवाणा (08240811323)	परीवीक्षाकाल में होने से पूर्व सूची में किया गया स्थानान्तरण निरस्त	क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर, दिनांक 31.05.18
2	394	ज्योत्सना शर्मा, अध्या0 ले-1	रा. बा. उ. प्रा. वि. हुडील नागोर	राप्रावि कीरों की झोपडिया-हमीरगढ पं.स. सुवाणा (08240811401)	कार्मिक का पद ले-2 विषय अंग्रेजी तथा स्थानान्तरित स्थान राउप्रावि पुर भीलवाडा (08240850304)	क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर, दिनांक 31.05.18
3	429	शम्भुलाल मीणा, अध्या0 ले-1	राप्रावि कुम्हारों की ढाणी सेखाला जोधपुर	राउप्रावि जालम की झोपडिया बीकरण पं.स. माण्डलगढ 08241105701	कार्मिक की नियुक्ति तिथि 08.10.07 तथा विद्यालय के नाम में राउप्रावि के स्थान पर राप्रावि कुम्हारों की ढाणी-सेखाला जोधपुर	क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर, दिनांक 31.05.18

①

सिद्धांत

4	247	शीतल काबरा, अध्या0 ले-1	राउप्रावि केमुनिया पं.स. रायपुर (08240600201)	राप्रावि बिलिया खुर्द भीलवाडा (08240850001)	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम राप्रावि के स्थान पर राउप्रावि बिलियाखुर्द भीलवाडा	क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर, दिनांक 31.05.18
5	25	योगेश कुमार, अध्या0 ले-2 सामा-विज्ञान	राउप्रावि केकडिया-सराणा पं.स. माण्डलगढ (08241114101)	राउप्रावि कल्याणपुरा-कादीसिहाना पं.स. शाहपुरा (08240303601)	पूर्व में किया गया स्थानान्तरण निरस्त	क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर, दिनांक 31.05.18

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

- 1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावे।
- 7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। यदि कार्मिक शपथ पत्र देने से इंकार करे तो कार्मिक से इस बाबत लिखित में लिया जावे।
- 8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2012 के पश्चात की हो तो, उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2008 के पश्चात की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

Signature

Signature

- 11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 12 लेवल द्वितीय गणित-विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 13 लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।
- 14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनको कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हें पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावे।
- 16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक दिनांक 30/06/18 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी /कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 01 जुलाई 2018 को अपने जिले के ऐसे प्रकरणों की सूचना मय सूची निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 17 पीईईओ द्वारा आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित बीईईओ इसकी सूचना जिशिअ प्राशि को देंगे तथा जिशिअ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव बना कर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- 18 स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 19 स्थानान्तरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.04.16, 24.06.16 एवं 06.07.16 से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 20 क्रम संख्या पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

यह शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Signature

(संजय कुमार)


शासन उप सचिव

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज

3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (प्रारम्भिक शिक्षा-स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
- 2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- 5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
- 7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सम्बन्धिम पीईईओ के माध्यम से कराने का श्रम करावें।
- 8 शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर को पोर्टल पर मॉड्यूल द्वारा मैपिंग किये जाने हेतु प्रेषित है (पत्र क्रमांक : प.5(5)प्रा.शिक्षा/2018 जयपुर,दिनांक 22.06.18 के विन्दु सं. 6 के क्रम में)
- 9 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
- 10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु।
- 11 संबंधित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को पालना हेतु।
- 12 रक्षित पत्रावली।


(जगदीश नारायण जाट)
अनुभाग अधिकारी

(9)